

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शोध हेतु छात्रवृत्ति

उद्देश्य— अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध हेतु छात्रवृत्ति।

पात्रता —

1. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रायें
2. म.प्र.का मूल निवासी
3. किसी विश्वविद्यालय में शोध हेतु पंजीकृत हो ।
4. स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त हो । समान अंक के मामलो में एम.फिल उपाधि को वरीयता ।
5. पारिवारिक आय आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो
6. निजी व्यवसाय/सेवा में कार्यरत न हो ।
8. अन्य किसी संस्था से अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो ।

लक्ष्य —

अनुसूचित जनजाति के कुल 56 विद्यार्थियों के लिए

प्रक्रिया —

संकायवार स्नातकोत्तर मेरिट के आधार पर चयन सूची में क्रमानुसार संचालनालय द्वारा चयन किया जाता है ।

लाभ

1. छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से तीन वर्ष अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा होने तक जो पहले हो ।
2. प्रतिमाह रू. 8000/— छात्रवृत्ति
3. नवीनीकरण हेतु गार्ड से प्रगति प्रतिवेदन हर छः माह अतिरिक्त संचालक को प्रस्तुत करना होगा ।